"आइसक्रीम प्रोडक्शन टू स्टे अंडर एस० एस० आई०" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रिक कंपनियों को आइसक्रीम उत्पादन क्षेत्र में 5 करोड रुपये के पूंजी निवेश की छूट देने और अपने उत्पादन का पचास प्रतिशत निर्यात करने की सुविधा देने से आम दुग्ध उपभोक्ताओं के समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा ;

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार दुग्ध उत्पादों के भारी निर्यात के कारण देश में दूध का संकट उत्पन्न होने की स्थिति में आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वार्षिक उत्पादन के 50 प्रतिशत का निर्यात करने की शर्त के अधीन निवेश सीमा को 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरदार सरोवर परियोजना के कार्य को रोकने के लिये आंदोलन

*375. **श्री अजीत जोगी :**
श्री ए०स एम० सुरजेवाला :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना की लागत कितनी है ;

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ;

(ग) क्या "नर्मदा बचाओ आन्दोलन" से कुछ नेताओं ने इस परियोजना पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरदार सरोवर परियोजना की अनुमोदित लागत, 1986–87 के मूल्य स्तर पर 6406.04 करोड़ रुपए है।

(ख) इस परियोजना की आयोजना 1989 में की गयी थी; इसे सन 2000 तक पूरा किया जाना है। इसका वास्तविक रूप से पूर्ण निधियों की उपलब्धता होना तथा परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनस्थापन पर निर्भर करता है।

(ग) से (ङ) सरदार सरोवर परियोजना पर चल रहे निर्माण कार्य को बन्द करने की मांग करते हुए नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कुछ कार्यकर्ताओं ने 21–11–1994 को भोपाल में अनिश्चित कालीन अनशन शुरू किया। नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्ताओं/समर्थकों ने धरना दिया तथा अनिश्चित कालीन अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं के समर्थन में उसी स्थान पर भूख हड़ताल की। केन्द्रीय सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया

तथा 9.12.1994 को कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे अनिश्चित कालीन अनशन समाप्त कर दें। नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा 16.12.1994 को अनिश्चित कालीन अनशन समाप्त कर दिया गया था।

Completion of Birupa Genguti Island Irrigation project

*376. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the estimate cost of the Birupa-Genguti Island Irrigation Project in Orissa;

(b) the target date fixed for the completion of irrigation project;

(c) the fund sanctioned by Government for that project so far; and

(d) the progress made in the completion of the project?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): (a) The revised estimated cost of the Project as per investment clearance accorded by the Planning Commission in March, 1994 is Rs. 1,146.36 lakhs.

(b) The project is scheduled for completion by end of 1995-96.

(c) and (d) An expenditure of Rs. 8.30 crores has been incurred on the project till the end of March, 1994. The budget outlay for 1994-95 is Rs. 1.60 crores. Out of the ultimate irrigation potential of 8,090 hectare, a potential of 500 ha. has been created upto March, 1994. Target for 1994-95 is 2,000 ha.

Enquiry by National Commission of Women

*377. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the National Commission of Women had enquired into the incidents of insult and outrage of women at Rampur Tiraha, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh on 2/3 October, 1994; if so, the salient points of the Commission's investigations; and

(b) the action taken by Government on the same?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir. The salient finding of the National Commission for Women is that the allegations of excess, insult, outrage, molestation and rape of women through acts of commission and mission on the part of the police and District Administration are true.

(b) Since in accordance with the provisions laid down in the Constitution, 'Police' and 'Public Order' are State subjects, the report of the National Commission for Women has been sent to the State Government of Uttar Pradesh for taking appropriate action in the matter. The Hon. High Court at Allahabad has appointed the CBI to conduct an enquiry and submit the report to the Court. The entire matter relating to the incident is subjudice with the High Court.

Disposal of solid waste in Metropolitan cities

378. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether absence of adequate/effective arrangements for disposal of the solid waste in cities, particularly metropolitan cities, has given rise to serious health and environmental hazards; and